



राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

क्रमांक: चुनाव अधिकारी/2022/ 3008

दिनांक 13/10/2022

चुनाव अधिसूचना - 2022

कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 28.09.2022 की अनुपालना में सभी संबंधित सदस्यों को सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय मंत्रालयिक एवं सहायक कर्मचारी स्टाफ क्लब के निम्न पदाधिकारियों के चुनाव दिनांक 05 नवम्बर, 2022 को प्रातः 11.00 बजे से अपरान्ह 2.00 बजे तक होंगे।

अध्यक्ष - एक

महामंत्री - एक

चुनाव निम्न कार्यक्रमानुसार आयोजित होंगे :

1. मतदाता सूची का प्रकाशन 20/10/2022
दोपहर 12.00 बजे तक
2. मतदाता सूची पर आपत्तियाँ एवं
अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 21/10/2022
दोपहर 12.00 बजे तक
3. उम्मीदवारी हेतु नामांकन पत्र जमा करने
की तिथि, समय व स्थान 31/10/2022
प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक
वनस्पतिशास्त्र विभाग राज.विश्वविद्यालय
4. नामांकन पत्रों की जांच 31/10/2022
दोपहर 02.00 बजे तक
5. योग्य प्रत्याशियों की सूची का प्रकाशन 31/10/2022
दोपहर 03.00 बजे तक
6. नामांकन पत्र वापिस लेने की तारीख 01/11/2022
दोपहर 12.00 बजे तक
7. प्रत्याशियों की अन्तिम सूची का प्रकाशन 01/11/2022
दोपहर 01.00 बजे तक
8. चुनाव चिन्ह आवंटन करने की तारीख व समय 01/11/2022
दोपहर 03.00 बजे तक

नोट :-

1. नामांकन पत्र सामान्य प्रशासन कार्यालय से दिनांक 18/10/2022 से प्राप्त किये जा सकते हैं।
2. नामांकन पत्र जमा करवाते समय स्वयं आवेदक, प्रस्तावक तथा अनुमोदक का आना अनिवार्य है। सभी लोगो को उपकुलसचिव (सामान्य प्रशासन कार्यालय) के समक्ष हस्ताक्षर करेंगे। तथा अपने परिचय पत्र की स्व-सत्यापित प्रतिलिपियाँ नामांकन फार्म के साथ लगायेगें।
3. नामांकन पत्र शुल्क सभी पदों हेतु 500/- निर्धारित किया गया है। नाम वापस लेने की स्थिति में नामांकन शुल्क वापस नहीं होगा।

4. नामांकन पत्र भरने वाले उम्मीदवार को सदस्यता शुल्क नियमानुसार जमा कराके नये वर्ष की सदस्यता प्राप्त करना आवश्यक है।
5. उपकुलसचिव (संस्थापन-II) मतदाताओं की सूची दिनांक 15/10/2022 तक चुनाव अधिकारी के पास अपने हस्ताक्षरों सहित 02 सेट बनाकर प्रस्तुत कर दें ताकि यथा समय नियमानुसार चुनाव सम्पन्न हो सकें एवं किसी भी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो।
6. दिनांक 15/10/2022 को अन्तिम मतदाता सूची तैयार होकर चुनाव अधिकारी को प्राप्त हो जानी चाहिये इसके पश्चात् मतदाता सूची में किसी भी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं हो पायेगा। मतदाता सूची में अपने नाम की सुनिश्चितता दिनांक 15/10/2022 को प्रातः 11:00 बजे तक कर लेनी है।
7. चुनाव में खड़े हुये प्रत्याशी 5000/- रुपये से ज्यादा का व्यय सम्पूर्ण चुनाव में नहीं करेंगे। यदि किसी प्रत्याशी का व्यय 5000/- रुपये से अधिक पाया गया तो उसका चुनाव अवैध होगा।
8. अनुशासनहीनता व चुनाव रैली निकालना, विश्वविद्यालय की दीवारों पर लिखना या पोस्टर चिपकाना आचार संहिता का उल्लंघन होगा तथा ऐसे प्रात्याशियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी जिसमें कि प्रत्याशी का नामांकन/चुनाव भी रद्द किया जा सकता है।
9. चुनाव से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के विवाद होने की स्थिति में चुनाव अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

L-1
प्रो. जी. पी. सिंह
चुनाव अधिकारी

क्रमांक: चुनाव अधिकारी/2022/ 3008

दिनांक 15/10/2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है -

1. प्राचार्य, समस्त संघटक महाविद्यालय/विभागाध्यक्ष/निदेशक, शैक्षणिक विभाग/संस्थान/ केन्द्र, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
2. मुख्य कुलानुशासक, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
3. कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
4. निजी सचिव-कुलपति, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
5. उप-कुलसचिव (सामान्य प्रशासन कार्यालय), राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
6. उप-कुलसचिव (संस्थापन-द्वितीय), राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
7. निदेशक, इन्फोनेट सेन्टर, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
8. जनसम्पर्क अधिकारी, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।

L-1
प्रो. जी. पी. सिंह
चुनाव अधिकारी